



2026:AHC:17817

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19142 वर्ष 2025

राम बचन सरोज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: जगदंबा गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदंबा गुप्ता और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम रोजगार सेवक के रूप में काम किया था, लेकिन उसे 01.04.2023 से आज तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और न ही बकाया राशि का भुगतान किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिपक्षी को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या निर्णय पांचवें प्रतिपक्षी, उप आयुक्त, श्रम एवं रोजगार (एमजीएनआरईजीए), आजमगढ़ द्वारा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन पाँचवें प्रतिपक्षी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। पाँचवें प्रतिपक्षी इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करेंगे। यदि पाँचवें प्रतिपक्षी का मत है कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएँगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिपक्षी से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

27 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)